भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1077**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

गैर-राजसहायता प्राप्त वस्तुओं का वितरण

1077. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और यूरिया के साथ जिंक, सल्फर, नैनो यूरिया और जाइम जैसी गैर-राजसहायता प्राप्त वस्तुओं की कितनी मात्रा वितरित की गई;
(ख) क्या किसानों को आवश्यकता नहीं होने पर भी ऐसी गैर-राजसहायता प्राप्त वस्तुओं को खरीदने के लिए बाध्य किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गैर-राजसहायता प्राप्त वस्तुओं से सरकार को राज्य-वार कितना लाभ हुआ?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): अन्य उत्पादों को उर्वरकों से जोड़ने/टैग करने को उर्वरक विभाग द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तदनुसार, उर्वरक कंपनियों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिनमें उन्हें ऐसी पद्धतियों में लिप्त न होने का निदेश दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 के अंतर्गत टैगिंग की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करने की भी सलाह दी जाती है।

इसके अलावा, बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

****